न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 04 / 2022

प्रार्थीनी पुष्पादेवी पत्नी अशोक कुमार जाति सोनी, निवासी हीमराज मंदिर गली नं 01 बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण
1. मूपतराज पुत्र सगमल जाति महाजन फौत के कायम मुकाम
1/1 कमलेश पुत्र मूपतराज
1/2 दीपक कुमार पुत्र मूपतराज महाजन निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर ।
2. सेजलाल पुत्र सगमल जाति महाजन निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर ।
3. राज सरकार जरिये भूमिधारी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :- 1. श्री ओमप्रकाश डाबी वकील प्रार्थीनी
2. श्री बेजाराम विप्रार्थी संख्या 02

आदेश दिनांक 08.08.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 197 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 201 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 202 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा सरहद मौजा होटलू पटवार हल्का बिदुजा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर की भूमि में 24 फीट चौड़ाई का कटाण रास्ता आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 195 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल सरहद मौजा होटलू, पटवार हल्का बिदुजा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर में से संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से मार्क ए से बी रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु रास्ता के उपयोग हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गयी। विप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 को जारी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । विप्रार्थी संख्या -2 कि वकील उपस्थित रहे । वकील प्रार्थीनी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2074 77 व उक्त भूमि का लट्ठा ट्रेस प्रस्तुत किया । आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:11 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील प्रार्थीनी ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी के [illegible] से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी [illegible] में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता [illegible] प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी संख्या 1 से [illegible] द्वारा काश्त करके और बाड़ लगा कर उक्त रास्ता अवरुद्ध किये जाने से प्रार्थी का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है । और उसे किसी कार्य हेतु संयंत्र और ट्रेक्टर आदि ले जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

अतः प्रार्थीनी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी का मैत्रीपूर्ण रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थीनी उक्त रास्ते

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

की भूमि के बदले विप्रार्थी को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है ।

हमने वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थीनी ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की 197 रकबा 10 बीघा 15 विस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 201 रकबा 04 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 202 रकबा 03 बीघा 19 विस्वा कुल रकबा 19 बीघा 04 विस्वा का अभिलिखित खातेदार है, जिस पर उसका कब्जा काश्त है। राजकीय कटाण मार्ग एवं प्रार्थीनी के खातेदारी खेत के मध्य विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 195 रकबा 04 बीघा 12 विस्वा किस्म बारानी अव्वल खातेदारी खेत अवस्थित रास्ते तक गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्व किये जाने से प्रार्थी के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थीनी को अपरिहार्य आवश्यकता है ।प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित भूमि की संलग्न नक्शा अनुसार ए से बी कुल लम्बाई 2 गट्ठा, बी से सी 25 गट्ठा व चौडाई 24 फीट अनुसार कुल रकबा 0–05 विस्वा है । विप्रार्थी के खसरा संख्या 195 रकबा 04 बीघा 12 विस्वा किस्म बारानी अव्वल, मे से 24 फीट चौडा रास्ता हेतु भूमि प्रस्तावति की है जो निकट और उपयुक्त है । विप्रार्थी के खातेदारी खेत की डीएलसी दर 39960 रूपये पर बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 19980/– रूपयें बनती है, जो प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी संख्या –1 से 2 को अदा की जानी है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थी ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की 197 रकबा 10 बीघा 15 विस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 201 रकबा 04 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 202 रकबा 03 बीघा 19 विस्वा कुल रकबा 19 बीघा 04 विस्वा से राजकीय कटाण मार्ग के आवागमन हेतु इस ग्राम के खसरा संख्या 195 रकबा 04 बीघा 12 विस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में से तहसीलदार पचपदरा द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/2020/566 दिनांक 26.7.2022 को प्रेषित मौका के फर्द में बरंग लाल से दर्शित ए से बी कुल लम्बाई 2 गट्ठा, बी से सी 25 गट्ठा व चौडाई 24 फीट अनुसार कुल रकबा 05 विस्वा भूमि, प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 19980/– अदा करने, और उनके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पचपदरा को तदनुसार राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.04.2022 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय का भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:11 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 08.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा